

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3321

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

**पूरक पोषण कार्यक्रम की प्रगति**

3321. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:  
श्री दुलू महतो:  
श्री भोजराज नाग:  
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:  
श्री खगेन मुर्मु:  
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के अंतर्गत अब तक कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया गया है; और
- (ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय, लाभों और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों को विशेष रूप से जलगांव जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) और (ख):** मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को दूर करने के लिए पूरक पोषण प्रदान किया

जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

एनएफएचएस-5, एनएफएचएस-4 और पोषण ट्रैकर के आंकड़ों की तुलना से विदित है कि भारत में बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

संकेतक	एनएफएचएस-4 (2015-16)	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 में सुधार	पोषण ट्रैकर (जून 2025)
बौनापन	21%	19.3%	-1.7%	5.46%
दुबलापन	38.4%	35.5%	-2.9%	37.07%
अल्प-वजन	35.7%	32.1%	-3.7%	15.93%

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन, दुबलेपन और अल्प वजन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशत पोषण ट्रैकर सार्वजनिक डैशबोर्ड (<https://www.poshantracker.in/statistics>) पर उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर (किसी भी कारण से जीवन जोखिम और मृत्यु को कवर करता है) प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया है।

एपीआईपी 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर कुल 906863 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 831743 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत कवर किया गया है।

**(ग):** मंत्रालय ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 मई, 2023 को पोषण भी पढाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की है, ताकि छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तथा पोषण सेवा प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके।

पीबीपीबी के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यह प्रशिक्षण नवचेतना - जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और आधारशिला - तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ईसीसीई हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप है। इन्हें मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किया गया है। विकलांग बच्चों (दिव्यांग बच्चों) को सहायता प्रदान करने और समावेशी शिक्षण पद्धतियों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाता है। यह प्रशिक्षण दो-स्तरीय मॉडल पर आधारित है, जिसमें राज्य-स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) दो-दिवसीय गहन प्रशिक्षण (टियर 1) प्राप्त करते हैं, जो बदले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को तीन-दिवसीय, संवादात्मक(इन्टरैक्टिव), व्यावहारिक मॉड्यूल (टियर 2) के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं।

दिनांक 31 जुलाई 2025 तक कुल 41,402 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त स्त्रोत व्यक्तियों) और 5,81,326 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को पोषण भी पढाई भी (पीबीपीबी) पहल के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

पोषण ट्रेकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियमित रूप से क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रेकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए स्व-शिक्षण वीडियो भी शामिल हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण और कार्यस्थल पर सीखने में सहायक हैं। राज्य और ब्लॉक समन्वयक, पोषण ट्रेकर के प्रभावी उपयोग और कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*